

दिनांक-10.10.2018 को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की अध्यक्षता में आयोजित शासी परिषद की 21 वीं बैठक की कार्यवाही।

उपरिस्थिति- पंजी के अनुसार।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के प्रस्तावों पर शासी परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यावली बिन्दु:-01:- दिनांक-24.05.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही (परिशिष्ट-01) की सम्पुष्टि।

कार्यावली बिन्दु:-02:- दिनांक-24.05.2018 को आयोजित शासी परिषद की गत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की सम्पुष्टि (परिशिष्ट-02)।

कार्यावली बिन्दु:-03:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित बजट का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2018-19 का ₹154,17,02,660.00 के बजट की स्वीकृति शासी परिषद की दिनांक-15.03.2018 को आहूत 19वीं बैठक के कार्यावली बिन्दु संख्या-3 के रूप में प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभागीय पत्रांक-4369, दिनांक-03.04.2018 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना के लिए पूर्व से स्वीकृत 82 पदों के अतिरिक्त कुल 31 आई.टी. प्रबंधकों के पद का सृजन किया गया है। इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-6741, दिनांक-24.05.2018 द्वारा तत्काल सेवा के कार्यपालक सहायकों के संविदा आधारित कुल 534 पदों का सृजन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत किया गया है जिसके मानदेय का भुगतान दिनांक-24.05.2018 से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किया जाना है। दूसरी ओर सामान्य प्रशासन विभागीय ज्ञापांक-10748, दिनांक-22.08.2017 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के लिए अपर मिशन निदेशक, प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी, वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवालय सहायक, निजी सहायक एवं निम्न वर्गीय/उच्च वर्गीय लिपिक के पदों का सृजन सामान्य प्रशासन विभाग में किया गया है।



उपर्युक्त के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 154,62,84,374.00 (एक सौ चौवन करोड़ बासठ लाख चौरासी हजार तीन सौ चौहत्तर) का पुनरीक्षित बजट तैयार किया गया है। पदवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के उक्त पुनरीक्षित बजट पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत
--------	---------

कार्यावली बिन्दु:-04:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आईटी0 प्रबंधकों, आईटी0 सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव के क्रम में शासी परिषद के दिनांक-24.05.2018 के बैठक में कार्यावली बिन्दु 02 अंतर्गत लिये गये निर्णय तथा दिनांक-27.07.2018 बैठक में कार्यावली बिन्दु-22 अंतर्गत लिये गये निर्णय का आंशिक संशोधन के साथ अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आईटी0 प्रबंधकों, आईटी0 सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर शासी परिषद द्वारा दिनांक-24.05.2018 की बैठक में कार्यावली बिन्दु-02 अंतर्गत निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:-

निर्णय	<p>शासी परिषद की गत बैठक में इस बिंदु पर निर्णय को स्थगित रखा गया था। इस बिंदु पर पुनर्विचार के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सूचना प्रावधिकी विभाग द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत Computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।</p> <p>इस तथ्य के आलोक में शासी परिषद द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आई.टी. प्रबंधकों, आई.टी. सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि के बिंदु पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-</p> <p>1. सूचना प्रावधिकी विभाग द्वारा बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत Computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये तैयार किये जा रहे प्रस्ताव में बेल्ट्रॉन के डाटा इंटी ऑपरेटर्स के मानदेय वृद्धि के लिये निर्धारित किये जाने वाले फार्मूला को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मिशन के कार्यपालक सहायकों के लिये भी Adopt किया जाएगा।</p> <p>2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के आई.टी. सहायकों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में उपर्युक्त सारणी-'ख' एवं आई.टी.प्रबंधकों की सारणी-'ग' में वर्णित प्रस्ताव को शासी परिषद द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गयी कि यह मानदेय वृद्धि उस तिथि से प्रभावी होगी, जिस तिथि से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा मिशन के कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि के लिये बेल्ट्रॉन के डाटा इंटी ऑपरेटर्स के मानदेय वृद्धि के संबंध में सूचना प्रावधिकी विभाग के फार्मूला को Adopt किया जाएगा।</p>
--------	--



शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग से किये गये पत्राचार में सूचना प्रावैधिकी विभाग के पत्रांक-997(अनु0), दिनांक- 01.08.2018 द्वारा यह सूचित किया गया है कि बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा कोई विशिष्ट फार्मुला तैयार नहीं किया गया है, परंतु बेल्ट्रान के माध्यम से वाह्य एजेसी द्वारा संविदा पर कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों के मानदेय वृद्धि हेतु आदेश (सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक-830, दिनांक-04.07.2018 एवं ज्ञापांक-1116, दिनांक-31.08.2018) निर्गत किया गया है जिसके तहत बेल्ट्रान के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत प्रोग्रामरए डाटा इंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर तथा आई0 टी0 ब्याय के पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया गया है।

बिहार सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत computer Personnel के मानदेय में एकरूपता लाने के लिये सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा कोई विशिष्ट फार्मुला नहीं दिये जाने के फलस्वरूप शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय का समुचित अनुपालन नहीं हो सका है।

विदित हो कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा बेल्ट्रान के माध्यम से वाह्य एजेसी द्वारा संविदा पर कार्यरत डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं अन्य के मानदेय वृद्धि हेतु निर्गत उपरोक्त पत्र को कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि का आधार बनाने में कतिपय दिक्कतें हैं, यथा:-

- i. सूचना प्रावैधिकी विभाग के ज्ञापांक- 830, दिनांक-04.07.2018 एवं ज्ञापांक-1116, दिनांक-31.08.2018) द्वारा अब डाटा इंट्री ऑपरेटर के Entry Level पर ही परीक्षा लेकर सेवाएँ ली जा रही हैं, जबकि दिनांक-27.07.2016 के शासी परिषद कार्यावली बिन्दु-22 के प्रस्ताव अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि मिशन के कार्यपालक सहायक जिनका कार्यानुभव 3 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, को बेल्ट्रान के दर पर ग्रेड-2 का मानदेय देने के लिए परीक्षा आयोजित की जायेगी। बदल गयी परिस्थिति में शासी परिषद के इस निर्णय में भी पुनर्विचार अपेक्षित है।
- ii. डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रान के माध्यम से वाह्य सेवा एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि कार्यपालक सहायकों को जिला स्तर पर निर्मित पैनल से संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है।
- iii. कार्यपालक सहायकों का पैनल निर्माण करने के क्रम में आमतौर पर जिलों की चयन समिति द्वारा परीक्षा आहूत कर ही कार्यपालक सहायकों का पैनल तैयार किया जाता है। अतएव मानदेय वृद्धि के लिए अलग से दक्षता परीक्षा उर्तीणता के पूर्व के निर्णय में संशोधन अपेक्षित है।

विदित हो की शासी परिषद के दिनांक-09.03.2017 की बैठक में कार्यावली बिन्दु-20 के प्रस्ताव यथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी में संविदा के आधार पर

Am

नियोजित कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों से आच्छादित एवं लाभाहित किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद द्वारा दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति को लागू किया जाना है।

उपरोक्त वर्णित बिंदुओं के दृष्टिगत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के अधीन संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय निर्धारण के दिनांक 24.05.2018 की शासी परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करने की आवश्यकता समझी गई है।

प्रस्ताव:- उपरोक्त स्थिति में आईटीओ प्रबंधक, आईटीओ सहायक एवं कार्यपालक सहायक के मानदेय के वृद्धि/निर्धारण में एकरूपता रखते हुये उनके मानदेय का निम्न प्रकार संशोधन प्रस्तावित है:-

कार्यपालक सहायक का प्रस्तावित मानदेय:-

EXECUTIVE ASSISTANT (Table-1)				
क्र०सं१	विवरण	ENTRY LEVEL	03 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत	10 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत
1	मूल पारिश्रमिक	8100	11000	14100
2	अन्य भत्ता(66%)	6546	8460	10506
3	ई०पी०एफ० अंशदान-नियोक्ता अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000-रु० का 13 प्रतिशत	1053	1430	1833
4	कर्मियों के लिए कुल पारिश्रमिक (1+2+3)	15699	20890	26439
5	ई०पी०एफ० अंशदान-कर्मियों अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000/रु० का 12 प्रतिशत	972	1320	1692
6	टेक होम सीलरी (1)+(2)-(5)	13674	18140	22914

आईटीओ सहायक का प्रस्तावित मानदेय:-

IT ASSISTANT (Table-2)				
क्र० सं०	विवरण	ENTRY LEVEL	03 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत	10 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत
1	मूल पारिश्रमिक	10300	14700	19250
2	अन्य भत्ता(66%)	7998	10902	13905
3	ई०पी०एफ० अंशदान-नियोक्ता, अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000-रु० का 13 प्रतिशत	1339	1911	1950
4	कर्मियों के लिए कुल पारिश्रमिक (1+2+3)	19637	27513	35105
5	ई०पी०एफ० अंशदान-कर्मियों अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000/रु० का 12 प्रतिशत	1236	1764	1800
6	टेक होम सीलरी (1)+(2)-(5)	17062	23838	31355

Handwritten signature/initials

आईटीओ प्रबंधक का प्रस्तावित मानदेय:-

IT Manager (Table-3)				
क्र० सं०	विवरण	ENTRY LEVEL	03 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत	10 सफल कार्यवर्ष पूर्ण करने के उपरांत
1	मूल पारिश्रमिक	24500	34100	44700
2	अन्य भत्ता(66%)	17370	23706	30702
3	ई०पी०एफ० अंशदान-नियोक्ता, अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000-रु० का 13 प्रतिशत	1950	1950	1950
4	कर्मियों के लिए कुल पारिश्रमिक (1+2+3)	43820	59756	77352
5	ई०पी०एफ० अंशदान-कर्मियों अधिकतम मूल पारिश्रमिक 15000/रु० का 12 प्रतिशत	1800	1800	1800
6	टेक होम सैलरी (1)+(2)-(5)	40070	56006	73602

- I. उपर्युक्त सारणी संख्या-1,2 एवं 3 में वर्णित दरों के अनुरूप मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव है।
- II. उपर्युक्त मानदेय वृद्धि का वित्तीय लाभ 01.11.2018 से देय होगा।
- III. कार्यपालक सहायकों के मानदेय वृद्धि के लिए अलग से दक्षता परीक्षा आहूत कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- IV. संविदा पर नियोजित आईटीओ प्रबंधकों, आईटीओ सहायकों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि/पुनर्निर्धारण को प्रभावी वर्ष के 01ली जनवरी से लागू किया जायेगा।
- V. जिन कर्मियों का मूल मानदेय 15000.00 रुपये से अधिक हो जाता है उन कर्मियों के मामले में 15000.00 रुपये की राशि तक अनुमान्य ई०पी०एफ० की कटौती तथा ई०पी०एफ० कंट्रिब्यूशन का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों, आई.टी सहायकों तथा आई. टी प्रबंधकों के मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण निम्नलिखित अनुसार करने तथा उक्त पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

A. कार्यपालक सहायक

1. वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों के मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण सूचना प्रावैधिकी विभाग का ज्ञापांक-830, दिनांक-04.07.2018 तथा ज्ञापांक-1116, दिनांक-31.08.2018 द्वारा बेल्ट्रान के माध्यम से आऊट सोर्सिंग के आधार पर विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री



आपरेटर (दक्षता परीक्षा अनुत्तीर्ण) के लिये निर्धारित दर के आलोक में किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. वर्तमान में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी अंतर्गत संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी कार्यपालक सहायकों को दो वर्गों में बांटा जायेगा यथा:-

(क) कार्यपालक सहायक वर्ग -I: - जिनके द्वारा दिनांक 01.07.2018 को कार्यपालक सहायक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि 5 वर्ष से कम है तथा

(ख) कार्यपालक सहायक वर्ग - II:- जिनके द्वारा दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष या अधिक की कार्य अवधि सफल तरीके से पूरी कर ली गई है। (यह गणना प्रत्येक वर्ष के 01ली जनवरी तथा 01ली जुलाई को किया जायेगा तथा उक्त तिथि को 5 वर्ष या अधिक पूरा करने वाले को इस वर्ग में शामिल किया जायेगा।)

3. सभी कार्यपालक सहायकों को कम्प्युटर तथा अन्य निर्धारित हार्डवेयर साथ लाने के लिये प्रति माह अतिरिक्त 1200/- (एक हजार दो सौ रुपये मात्र) का हार्डवेयर भत्ता भुगतने होगा। अगर कम्प्युटर तथा अन्य निर्धारित हार्डवेयर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो उक्त परिस्थिति में इनको हार्डवेयर भत्ता भुगतने नहीं होगा।

4. वर्ग -II के कार्यपालक सहायकों को 2800/- (दो हजार आठ सौ रुपये मात्र) का विशेष भत्ता देय होगा।

5. सभी कार्यपालक सहायकों को प्रत्येक वर्ष 01ली जनवरी को (अगर सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से, सफल तरीके से एक वर्ष पूर्ण कर लिया गया है) मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत के वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। जिनके द्वारा 01ली जनवरी के पश्चात तथा 01ली जुलाई तक, सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से, सफल तरीके से एक वर्ष पूर्ण कर लिया जाता है, को 01ली जुलाई से मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत के वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

6. किसी भी समय, यदि इनका मानदेय राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से न्यून हो जाता है, तो मानदेय का पुनरीक्षण किया जायेगा।

7. उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक सहायक वर्ग -I के मानदेय का पुनर्निर्धारण अनुसूची -1 के अनुसार तथा कार्यपालक सहायक वर्ग -II के मानदेय का पुनर्निर्धारण अनुसूची - 2 के अनुसार किया जाता है। यह मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से लागू होगा।

8. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा बेल्ट्रान के माध्यम से राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

Mn

9. ऐसे कर्मी जो बेल्ट्रान अथवा सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा आयोजित किये जाने वाले दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, को कार्यपालक सहायक (दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग) में शामिल करते हुए उनके मानदेय का निर्धारण अनुसूची- 3 के अनुसार किया जायेगा।

10. दक्षता परीक्षा का आयोजन बैच वार किया जायेगा तथा इसमें शामिल होने के लिये संविदा पर कार्यरत अवधि के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग का आर्थिक लाभ 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत पहले आने वाले तिथि) से देय होगा।

B. आई. टी. सहायक

1. वर्तमान में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी आई. टी. सहायक के मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण अनुसूची- 4 के अनुसार किया जायेगा।

2. यह मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी आई. टी. सहायकों को प्रत्येक वर्ष 01ली जनवरी को (अगर सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से एक वर्ष पूर्ण कर लिया गया है) मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत के वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। जिनके द्वारा 01ली जनवरी के पश्चात तथा 01ली जुलाई तक, सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से, सफल तरीके से एक वर्ष पूर्ण कर लिया जाता है, को 01ली जुलाई से मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

4. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा बेल्ट्रान के माध्यम से आई. टी. सहायकों के लिये राज्य स्तरीय दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

5. ऐसे कर्मी जो बेल्ट्रान अथवा सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा आयोजित किये जाने वाले दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, के मानदेय का निर्धारण अनुसूची- 5 के अनुसार किया जायेगा।

6. दक्षता परीक्षा का आयोजन बैच वार किया जायेगा तथा इसमें शामिल होने के लिये संविदा पर कार्यरत अवधि के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी। परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मियों को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग का आर्थिक लाभ 01ली जनवरी अथवा 01ली जुलाई (परीक्षा उत्तीर्णता के उपरांत पहले आने वाले तिथि) से देय होगा।

C- आई. टी. प्रबंधक

1. वर्तमान में संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत सभी आई. टी. प्रबंधकों को दो वर्ग में बांटा जायेगा, यथा:-

(क) आई. टी. प्रबंधक वर्ग -1:- जिनके द्वारा दिनांक 01.07.2018 को आई. टी. प्रबंधक के रूप में संविदा पर नियोजित होकर सफल तरीके से कार्य करने की अवधि 5 वर्ष से कम है तथा



(ख) आई. टी प्रबंधक वर्ग -II:- जिनके द्वारा दिनांक 01.07.2018 को 5 वर्ष या अधिक की कार्य अवधि सफल तरीके से पूरी कर ली गई है। यह वर्ग मात्र शुरुवात में मानदेय स्तर में अलग अलग स्तर के निर्धारण हेतु है।

2. आई. टी प्रबंधक वर्ग -I के मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण अनुसूची- 6 के अनुसार किया जायेगा।

3. आई. टी प्रबंधक वर्ग - II के मानदेय में वृद्धि/ पुनर्निर्धारण अनुसूची- 7 के अनुसार किया जायेगा।

4. यह वृद्धि/ पुनर्निर्धारण दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से लागू होगा।

5. सभी आई. टी. प्रबंधकों को प्रत्येक वर्ष 01ली जनवरी को (अगर सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से एक वर्ष पूर्ण कर लिया गया है) मूल मानदेय पर 10 प्रतिशत के वृद्धि का लाभ दिया जायेगा। जिनके द्वारा 01ली जनवरी के पश्चात तथा 01ली जुलाई तक, सेवा शुरू करने अथवा पिछले मानदेय वृद्धि की तिथि से, सफल तरीके से एक वर्ष पूर्ण कर लिया जाता है, को 01ली जुलाई से मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

D- भविष्य में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायकों, आई.टी सहायकों तथा आई. टी. प्रबंधकों के पदों के विरुद्ध संविदा पर नियोजित कर्मियों का इन्ट्री मानदेय का निर्धारण वर्ष 2018 को आधार मानकर उसमें प्रत्येक वर्ष (01ली जुलाई को) पाँच प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा प्रत्येक वर्ष जून माह में पत्र द्वारा यह संसूचित किया जायेगा।

E- अन्य भत्ता मूल मानदेय का 66% प्रतिशत है।

कार्यावली बिन्दु:-05:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत गठित सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय करने/ उपलब्ध कराने की व्यवस्था को संशोधित करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को नई व्यवस्था के तहत 4G support वाले मोबाईल फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय करने/ उपलब्ध कराने की व्यवस्था, जो वर्तमान में लागू है अंतर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या-02/एफ-01-39 /2014-2480/वि०, दिनांक-31.03.2017 के आलोक में पदाधिकारियों को पुराने मोबाईल सेट जो चार वर्ष से अधिक पुराने हो गये है के स्थान पर नये मोबाईल सेट क्रय करने के क्रम में कतिपय कठिनाईयाँ आ रही है। सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित अधिकांश पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय करने हेतु राशि उनके पदनाम से उपलब्ध कराया जाता है। पदाधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाने की



स्थिति में मोबाईल सेट अगले पदस्थापित पदाधिकारी को हस्तगत करा दिया जाता है। उक्त स्थिति में Depreciation cost की राशि पदाधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा जमा करने का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है।

शासी परिषद की दिनांक-15.03.2018 को आयोजित बैठक के कार्यावली बिंदु-16 के तहत मिशन सोसाइटी अन्तर्गत गठित सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों द्वारा मोबाईल सेट क्रय हेतु मिशन सोसाइटी के पत्रांक-13188, दिनांक-08.12.2009 द्वारा पूर्व में निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 15,000.00 रुपये एवं 5,000.00 रुपये को बढ़ाकर क्रमशः 35,000.00 रुपये एवं 15,000.00 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त वर्णित के आलोक में एक नयी व्यवस्था के अंतर्गत बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित सभी भा०प्र०से० के पदाधिकारी को 4G support वाले 35000.00 रुपये तक तथा सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों को 4G support वाले 15000.00 रुपये तक के मोबाईल फोन सेट के क्रय के अनुमान्यता के अनुमोदन का प्रस्ताव है।

पदाधिकारियों द्वारा 4G support वाले मोबाईल सेट का उपयोग सी०यू०जी० सीम कार्ड अथवा अन्य सरकारी मोबाईल नम्बर का उपयोग कर योजनाओं का अनुश्रवण करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने आदि हेतु किया जायेगा इसलिए सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों को अलग से मोबाईल सेट उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

प्रस्ताव:- भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सरकारी कार्यों के निष्पादन के क्रम में सूचनाओं के आदान प्रदान, योजनाओं के अनुश्रवण आदि हेतु सी०यू०जी० नेटवर्क अंतर्गत उपलब्ध कराये गये सीम कार्ड/ अन्य सीम कार्ड का उपयोग करने हेतु हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल सेट उपलब्ध कराने की योजना।

1. यह व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग के बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों) एवं बिहार प्रशासनिक सेवा (बिहार में पदस्थापित) के पदाधिकारियों हेतु लागू की जा रही है।
2. इस व्यवस्था के तहत बिहार में पदस्थापित बिहार संवर्ग के सभी भा०प्र०से० के पदाधिकारी (सी०यू०जी० नेटवर्क अन्तर्गत आच्छादित पदाधिकारियों के अतिरिक्त भी) को 4G support वाले हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त 35000.00 रुपये तक का मोबाईल फोन सेट तथा सभी बिहार में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (सी०यू०जी० नेटवर्क अन्तर्गत आच्छादित पदाधिकारियों के अतिरिक्त भी) को 4G support वाले हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त 15000.00 रुपये तक के मोबाईल फोन सेट के क्रय की अनुमान्यता होगी।
3. मोबाईल सेट का क्रय पदाधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा पदाधिकारियों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि की प्रतिपूर्ति हेतु अधियाचना संबंधी पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेखित करना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा दिनांक-15.03.2018 से पूर्व के 04 वर्षों (वित्त विभाग के संकल्प

Mh

संख्या-02/एफ-01-39/2014-2480/वि०, दिनांक-31.03.2017 द्वारा ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के depreciation cost एवं जीवन काल निर्धारण संबंधी पत्र) के अंतर्गत पूर्व की व्यवस्था में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि अपने नाम से प्राप्त नहीं किया गया है।

4. यह व्यवस्था दिनांक-15.03.2018 से लागू होगी। दिनांक-15.03.2018 से पूर्व के 04 वर्षों के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि प्राप्त करने की स्थिति में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-02/एफ-01-39/2014-2480/वि०, दिनांक-31.03.2017 द्वारा ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणों हेतु निर्धारित depreciation cost का भुगतान पदाधिकारियों को करना होगा, जिसके उपरान्त मिशन सोसाइटी से नया मोबाईल सेट क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी।

उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत गठित सी०यू०जी० नेटवर्क से आच्छादित पदाधिकारियों को मोबाईल सेट क्रय करने/ उपलब्ध कराने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उपरोक्त नई व्यवस्था के तहत 4G support वाले हाई स्पीड इंटरनेट सुविधायुक्त मोबाईल फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय

स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु:-06:- बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत दी जा रही सेवाओं को भारत सरकार के उपक्रम NIC के Service Plus Platform पर क्रमवार विस्थापित किये जाने के बिंदु पर अनुमोदन तथा उक्त क्रम में प्रत्येक आर०टी०पी०एस० केन्द्र के लिए कम से कम दो कम्प्यूटर सेट (NIC द्वारा उपलब्ध कराये गये न्यूनतम विशिष्टियों के अनुरूप अथवा बेहतर) का क्रय बेल्ट्रॉन के माध्यम से किये जाने तथा खर्च का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा किये जाने का घटनोत्तर अनुमोदन तथा प्रत्येक आर०टी०पी०एस० काउन्टर हेतु 01 के०वी०ए० का एक ऑनलाईन यू०पी०एस० (NIC के प्रामर्श के अनुरूप) का क्रय किये जाने का अनुमोदन।

दिनांक 27.07.2016 के शासी परिषद की बैठक के कार्यावली बिन्दु-16 के अन्तर्गत लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के वर्तमान सॉफ्टवेयर की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्ताव के क्रम में अन्य निर्णय के साथ यह निर्णय हुआ था कि दीर्घकालीन समाधान के रूप में NIC के माध्यम से नया सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म प्राप्त किया जाये।

शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के आलोक में NIC द्वारा विकसित Service Plus के प्लेटफार्म पर लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सॉफ्टवेयर को विस्थापित (migrate) करने हेतु कार्रवाई बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सूचना प्रावधिकी विभाग एवं NIC



द्वारा की जा रही है। NIC द्वारा जहानाबाद जिले में सामान्य प्रशासन विभाग के सेवाओं का पार्येंट भी किया गया है जिसमें सर्वप्रथम जाति, आय एवं आवसीय प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाओं को Service Plus के प्लेटफार्म पर विस्थापित (migrate) करने का कार्य किया जा रहा है तथा उक्त क्रम में जो दिक्कत आई है उनका समाधान NIC द्वारा किया जा रहा है।

आर०टी०पी०एस० सेवाएं विस्थापन के उपरांत कारगर तरिके से कार्य करे इसके लिए आवश्यक है कि Service Plus प्लेटफार्म के साथ वैसे कम्प्यूटर सेट आदि को संबद्ध किया जाये जो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम विशिष्टियों के अनुरूप अथवा बेहतर हों। छप्प द्वारा आवश्यक न्यूनतम विशिष्टियां उपलब्ध कराई गई है जो निम्नवत् है:-

- (a) Intel i3 Processor (8th Gen), 4GB RAM, 500HDD, NIC Card (LAN Port), Printer Port, USB Port, Monitor, Keyboard, Mouse
- (b) Licensed OS Windows 10 Professional (Preloaded)
- (c) Antivirus

उपरोक्त विशिष्टियों से युक्त प्रत्येक कम्प्यूटर सेट का क्रय मूल्य 37637.00 रुपये (बेल्ट्रॉन द्वारा प्रतिवेदित) आयेगा। विदित हो कि सभी प्रखण्ड, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला कार्यालय स्तर पर तथा बिहार भवन में एक-एक आर०टी०पी०एस० काउन्टर कार्यरत है। उक्त क्रम में आर०टी०पी०एस० सेवाओं की Service Plus में माईग्रेट करने के क्रम में प्रत्येक आर०टी०पी०एस० केन्द्र पर एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कम से कम दो कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए तथा विस्थापन कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने को दृष्टिगत रखकर प्रत्येक आर०टी०पी०एस० काउन्टर के लिए दो नये कम्प्यूटर सेट कुल-1348 कम्प्यूटर सेट (534x2 प्रखण्ड + 101x2 अनुमंडल + 38x2 जिला + 02 बिहार भवन) बेल्ट्रान के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध कराने का निदेश मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर बेल्ट्रॉन को दिया जा चुका है, जिसमें कुल-5,42,86,103.00 (पाँच करोड़ बयालिस लाख छियासी हजार एक सौ तीन) रुपये का व्यय अनुमानित है। व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा किया जायेगा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि आर०टी०पी०एस० केन्द्र पर निर्धारित अवधि में बिजली जाने के स्थिति में निर्बाध सेवा उपलब्ध रहे तथा कम्प्यूटर को बार बार शुरू न करना पड़े, के लिए उचित होगा की प्रत्येक आर०टी०पी०एस० काउन्टर के लिए, NIC द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के आलोक में बेल्ट्रान के माध्यम से, एक-एक ऑनलाईन यू०पी०एस० भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से क्रय कर उपलब्ध करा दिया जाये, जिसमें अनुमानित व्यय 2,41,68,184.00 (दो करोड़ एकतालिस लाख अरसठ हजार एक सौ चौरासी) रुपये होगा।

प्रस्ताव:- उक्त क्रम में निम्नलिखित प्रस्ताव है:-

- i. बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत दी जा रही सेवाओं को भारत सरकार के उपक्रम NIC के Service Plus Platform पर क्रमवार विस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। किस क्रम में तथा कितने अवधि में कौन कौन सी सेवाएं अधिकार सॉफ्टवेयर से NIC के Service Plus Platform पर विस्थापित की जायेगी के बिंदु पर मिशन निदेशक स्तर से निर्णय लिया जायेगा।



- ii. प्रत्येक आर०टी०पी०एस० केन्द्र के लिए कम से कम दो कम्प्यूटर सेट (NIC के द्वारा उपलब्ध कराये गये विशिष्टियों के अनुरूप या बेहतर) जिसमें अनुमानित व्यय 5,42,86,103.00 (पाँच करोड़ बयालिस लाख छियासी हजार एक सौ तीन) रुपये है का बेल्ट्रॉन के माध्यम से क्रय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के द्वारा 3106 - वेतनादि के अलावा मद से किये जाने के बिन्दु का घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव है। उक्त स्थिति में कम्प्यूटर सेट जिस आर०टी०पी०एस० केन्द्र पर अधिष्ठापित किये जायेगे यह वहाँ के कार्यालय की सम्पत्ति होगी तथा इसकी सुरक्षा के लिए संबंधित प्राधिकार/प्राधिकृत पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- iii. NIC के परामर्श के आलोक में प्रत्येक आर०टी०पी०एस० सेन्टर पर कम से कम एक 01 के०वी०ए० का ऑनलाईन यू०पी०एस० का क्रय बेल्ट्रॉन के माध्यम से किये जाने तथा अनुमानित व्यय 2,41,68,184.00 (दो करोड़ एकतालिस लाख अरसठ हजार एक सौ चौरासी) रुपये का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के द्वारा 3106 - वेतनादि के अलावा मद से किये जाने के बिन्दु पर शासी परिषद का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत
--------	---------

कार्यावली बिन्दु:-07:- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन तथा इसके प्रभाव का स्वतंत्र आकलन कराने एवं उस पर होने वाले व्यय का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का दो वर्ष से अधिक की अवधि बीत चुकी है। यह अधिनियम आम लोगों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई का अवसर एवं निवारण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसका स्वरूप इतना व्यापक है कि इसमें राज्य सरकार के सभी विभागों में से किसी की भी शिकायत का एक स्थल पर समाधान किया जाता है। परिवाद की सुनवाई परिवादी एवं लोक प्राधिकार के आमने-सामने बैठकर की जाती है जिससे परिवादी एवं लोक प्राधिकार के बीच शक्ति समरूपता स्थापित हुई है। नागरिकों का Feedback प्राप्त किया जाता है तथा पारित निर्णयों में आवेदकों से यह पूछा जाता है कि वे निवारण से संतुष्ट हैं या नहीं?

इस अधिनियम की प्रणाली, कार्यान्वयन एवं प्रभाव के स्वतंत्र आकलन की आवश्यकता को देखते हुए इसके Impact Assessment and Evaluation के लिए मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर सुप्रतिष्ठित संस्थान Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad के साथ रुपये 4,00,000.00+GST (रुपये चार लाख +GST) की दर पर अनुबंध किया गया है।

प्रस्ताव:- अतः बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की प्रणाली, कार्यान्वयन एवं प्रभाव का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने हेतु Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad के साथ से किये गये अनुबंध एवं इस पर होने वाले व्यय पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय

स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु:-08:- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ यथा-जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Digital Signature Certificate) का उपयोग कर प्रमाण पत्रों को हस्ताक्षरित किये जाने तथा आधार संख्या आधारित पहचान सुनिश्चित कर, कहीं से भी ऑनलाईन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में सूचना प्रावैधिकी विभाग का Aadhaar Sub Authentication Agency बनने के निर्णय का घटनोत्तर अनुमोदन।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ यथा-जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आर०टी०पी०एस० काउन्टर पर आने की आवश्यकता न पड़े और वह घर बैठे इन्टरनेट के माध्यम से वैध प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकें, हेतु जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Digital Signature Certificate) का उपयोग कर प्रमाण पत्रों को हस्ताक्षरित किये जाने का निर्णय लेते हुये तदनुसार व्यवस्था कायम की गई है। उक्त व्यवस्था अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आर०टी०पी०एस० सेवाओं के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग का Aadhaar Sub Authentication Agency की सुविधा प्राप्त की गई है।

प्रस्ताव:- उपरोक्त क्रम में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ यथा-जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (Digital Signature Certificate) का उपयोग कर प्रमाण पत्रों को हस्ताक्षरित किये जाने के निर्णय तथा आधार संख्या आधारित पहचान सुनिश्चित कर, कहीं से भी ऑनलाईन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में सूचना प्रावैधिकी विभाग का Aadhaar Sub Authentication Agency बनने के निर्णय का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय

स्वीकृत

कार्यावली

बिन्दु:-09:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत स्थापित जिज्ञासा हेल्पलाईन को अन्य विभागों द्वारा

ni

संचालित हेल्पलाइन से संबद्ध करते हुए एकल सम्पर्क के रूप में विस्तार किये जाने के बिंदु पर घटनोत्तर अनुमोदन।

'जिज्ञासा हेल्पलाइन' द्वारा नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी जाती है। अलग अलग विभागों के अलग अलग हेल्पलाइन/कॉल सेंटर नम्बर होने से नागरिकों को अनेक हेल्पलाइन नम्बर याद रखने पड़ते थे अथवा उसकी जानकारी लेने में समय व्यर्थ होता था। उक्त क्रम में जिज्ञासा हेल्पलाइन को सुदृढ़ करते हुये इसे अन्य विभागों के हेल्पलाइन/कॉल सेंटर नम्बर से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय के अनुपालन में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित जिज्ञासा हेल्पलाइन को एकल सम्पर्क के रूप में विकसित एवं विस्तारित करते हुये अन्य विभागों के हेल्पलाइन/ कॉल सेंटर नम्बर से संबद्ध कर दिया गया है। सिर्फ एक नम्बर प्रचारित हो जिस पर किसी निवासी द्वारा अपना काम बताने पर संबंधित विभाग के हेल्पलाइन/कॉल सेंटर को उसका कॉल ट्रांसफर कर दिया जाये के लिये बि०एस०एन०एल० से एक ०५ डिजिट का नम्बर यथा १४४०३ प्राप्त कर इसे जिज्ञासा के टॉल फ्री नम्बर के साथ मैप कर दिया गया है। अब विभिन्न विभागों के अलग-अलग हेल्पलाइन/कॉल सेंटर अथवा कतिपय आपातकालीन सेवाओं के हेल्पलाइन से एक ही कॉल के माध्यम से सुलभ एवं सुविधाजनक तरीके से सम्पर्क हेतु 'जिज्ञासा हेल्पलाइन' का एकल सम्पर्क के रूप में सुविधा उपलब्ध है।

जिज्ञासा हेल्प लाइन पर बढ़े कार्य बोझ के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत जिज्ञासा कॉल सेंटर हेतु स्वीकृत मानव बल यथा ०२ सुपरवाइजर (वाह्य स्रोत से) एवं १० Help Line Executive (वाह्य स्रोत से) के अधीन अतिरिक्त मानव संसाधन वर्तमान में कार्यरत वाह्य एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वास्तविक मानव बल की आवश्यकता का आकलन कर इस क्रम में नये सिरे से निविदा की कार्यवाई अलग से की जायेगी।

इस सुविधा को विस्तारित करने के क्रम में मिशन के प्रोक्योरमेंट मैन्यूअल के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर यथा ०१-IVRS Server, ०१-PRI Card, ०१-PRI Modem, ०१-Gigabit Switch, IVRS Application Software, Call booking Software, IVRS Audio Message Recording तथा Instalation & Testing सहित वेन्डर के माध्यम से व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें ४,५३,१२०.०० (चार लाख तिरपन हजार एक सौ बीस रुपये) का व्यय किया जाना है।

व्यवस्था की गुणतत्ता बनाये रखने के दृष्टिकोण से ०६ डेस्कटॉप कम्प्यूटर का क्रय किया जाना था। वर्तमान में पुराने उपलब्ध कम्प्यूटरों को उपयोग में लाकर कार्य किया जा रहा है।
प्रस्ताव:- उपरोक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत स्थापित जिज्ञासा हेल्पलाइन को अन्य विभागों द्वारा संचालित हेल्पलाइन से संबद्ध करते हुए

M

एकल सम्पर्क के रूप में विस्तार किये जाने तथा उक्त क्रम में अतिरिक्त मानव बल तथा आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में होने वाले व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के वेतनादि के अलावा मद से किये जाने के बिंदु पर घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है। साथ ही 06 डेस्कटॉप कम्प्यूटर का क्रय किये जाने का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत
--------	---------

कार्यावली बिन्दु:-10:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक में राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ी कर्मियों को खेल अभ्यास हेतु कार्यालय अवधि समाप्ति के दो घंटे पूर्व कार्यालय से छुट्टी के प्रस्ताव पर विचारण एवं निर्णय:-


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11269, दिनांक-05.08.2015 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में खिलाड़ी कोटा के अन्तर्गत नियुक्त समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मियों को खेल अभ्यास के लिए कार्यालय अवधि समाप्ति के दो घंटे पूर्व छुट्टी दिये जाने का प्रावधान है।

संविदा के आधार पर नियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक में राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ी कर्मियों को खेल अभ्यास हेतु कार्यालय अवधि में अभ्यास हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अन्तर्गत संविदा के आधार पर आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के नियोजन के क्रम में खिलाड़ी कोटा का भी कोई प्रावधान नहीं है।

विदित हो कि इस प्रकार की मांग मिशन सोसाइटी कार्यालय को प्राप्त होती रहती है। इस बिंदु पर नीतिगत निर्णय हेतु शासी परिषद के समक्ष प्रस्ताव रखा जा रहा है।

प्रस्ताव:- उपरोक्त क्रम में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित आई० टी० प्रबंधक, आई० टी० सहायक तथा कार्यपालक सहायक में राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ी कर्मियों को खेल अभ्यास हेतु कार्यालय अवधि समाप्ति के दो घंटे पूर्व कार्यालय से छुट्टी के बिंदु पर विचार कर नीतिगत निर्णय प्रार्थित है।

निर्णय	अस्वीकृत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर सृजित पद यथा आई०टी० प्रबंधक, आई०टी० सहायक एवं कार्यपालक सहायक के नियोजन में खिलाड़ी कोटा के अन्तर्गत नियोजन का कोई प्रावधान नहीं होने
--------	---



के कारण यह लाभ देय नहीं है।

कार्यावली बिन्दु:-11:- राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों को उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रशासन की ओर से शुभकामना दिए जाने एवं उस पर होने वाले व्यय के प्रस्ताव का घटनोत्तर अनुमोदन।

लोक प्रशासन में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें जन्मदिन के अवसर पर सौजन्यता प्रकट करने, सम्मान तथा आत्मीय भाव प्रदान करने के दृष्टिकोण से राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के सभी पदाधिकारियों को उनके जन्मदिन के अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव की ओर से शुभकामना कार्ड भेजे जाने तथा स्मृति के रूप में पुष्पगुच्छ/पौधा प्रदान किए जाने एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्राप्त सहायक अनुदान से किए जाने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

उपर्युक्त पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय स्वीकृत

कार्यावली बिन्दु:-12:- Commonwealth Association of Public Administration and Management (CAPAM) द्वारा जॉर्ज टाउन, (गुयाना) में आयोजित कॉन्फ्रेंस में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के व्यय पर Consultant के भाग लेने के प्रस्ताव का घटनोत्तर अनुमोदन।

लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं नवोन्मेषी कार्यों के लिए Commonwealth Association of Public Administration and Management (CAPAM) द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से कार्यान्वित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को Citizen Focused Innovation की श्रेणी में Finalist के रूप में चुना गया है। दिनांक 19 अक्टूबर, 2018 से 24 अक्टूबर, 2018 के बीच Georgetown में होने वाले CAPAM Biennial Conference में BRPGRA Project का Presentation निर्धारित है। उक्त कॉन्फ्रेंस में अपर मिशन निदेशक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, बि.प्र.सु.मि.सो. को भाग लेने की अनुमति सक्षम प्राधिकार-माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के CAPAM Award के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रस्तुतीकरण में आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु जॉर्ज टाउन, गुयाना में आयोजित द्विवार्षिक कॉन्फ्रेंस में DFID द्वारा सम्पोजित GROW BIHAR की प्रतिनिधि पूजा शर्मा (Consultant) को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के व्यय (विदेश



यात्रा व्यय एवं अन्य खर्च (आवासन, वीजा इत्यादि) पर शामिल होने की अनुमति अध्यक्ष, शासी परिषद-सह-मुख्य सचिव से प्राप्त है।

उपर्युक्त पर शासी परिषद का घटनोत्तर अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय	स्वीकृत
--------	---------


बैठक की कार्यावाही सघन्यवाद समाप्त की गई।

HO/- (शिवेन्दु रंजन) उपनिदेशक बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान		HO/- (राजेश्वर प्रसाद सिंह) अपर सचिव योजना एवं विकास विभाग
HO/- (डॉ० प्रतिमा) अपर मिशन निदेशक, बिहार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन	HO/- (राहुल सिंह) सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग -सह-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन	HO/- (एस० सिद्धार्थ) प्रधान सचिव, वित्त विभाग
HO/- (आगिर सुबहानी) मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	HO/- (अरुण कुमार सिंह) विकास आयुक्त, बिहार	HO/- (दीपक कुमार) मुख्य सचिव, बिहार

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक:-बि०प्र०सू०मि०सो० / योजना-02 / 2012, (खण्ड) 1645 दिनांक 20/11/2018


प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिपार्ड / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार / सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग बिहार / सचिव, विधि विभाग, बिहार / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को कार्यवाही की प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक:-बि०प्र०सू०मि०सो० / योजना-02 / 2012, (खण्ड) 1645 दिनांक 20/11/2018

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, शासी परिषद एवं विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(डॉ० प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

अनुसूची-1

कार्यपालक सहायक- वर्ग-I		
क्रम सं०	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	8739
2	अन्य भत्ता	5768
3	हाडवेयर (Hardware) भत्ता	1200
4	ई०पी०एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 13 प्रतिशत)	1136
5	कर्मियों के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	16843
6	ई०पी०एफ अंशदान कर्मियों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 12 प्रतिशत)	1049
7	टेक होम मानदेय (1+2+3-6)	14658

अनुसूची-2

कार्यपालक सहायक- वर्ग-II		
क्रम सं०	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	8739
2	अन्य भत्ता	5768
3	विशेष (Special) भत्ता	2800
4	हाडवेयर (Hardware) भत्ता	1200
5	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 13 प्रतिशत)	1136
6	कर्मों के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4+5)	19643
7	ई0पी0एफ अंशदान कर्मों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 12 प्रतिशत)	1049
8	टेक होम मानदेय (1+2+3+4-7)	17458

अनुसूची-3

कार्यपालक सहायक- दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ग		
क्रम सं०	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	11275
2	अन्य भत्ता	7442
3	हाडवेयर (Hardware) भत्ता	1200
4	ई०पी०एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 13 प्रतिशत)	1466
5	कर्मियों के लिये कुल मानदेय (1+2+3+4)	21382
6	ई०पी०एफ अंशदान कर्मियों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 12 प्रतिशत)	1353
7	टैक होम मानदेय (1+2+3-6)	18564

अनुसूची-4

आई0टी0 सहायक		
क्रम सं0	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	13000
2	अन्य भत्ता	8580
3	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 13 प्रतिशत)	1690
4	कर्मियों के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	23270
5	ई0पी0एफ अंशदान कर्मियों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 12 प्रतिशत)	1560
6	टेक होम मानदेय (1+2-5)	20020

अनुसूची-5

आई0टी0 सहायक- दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण		
क्रम सं0	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	15900
2	अन्य भत्ता	10494
3	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 13 प्रतिशत)	1950
4	कर्मियों के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	28344
5	ई0पी0एफ अंशदान कर्मियों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 12 प्रतिशत)	1800
6	टैक होम मानदेय (1+2-5)	24594

अनुसूची-6

आई0टी0 प्रबंधक- वर्ग-I		
क्रम सं0	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	24100
2	अन्य भत्ता	15906
3	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 13 प्रतिशत)	1950
4	कर्मी के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	41956
5	ई0पी0एफ अंशदान कर्मी- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रुपये तक का 12 प्रतिशत)	1800
6	टेक होम मानदेय (1+2-5)	38206

अनुसूची-7

आई0टी0 प्रबंधक- वर्ग-II		
क्रम सं0	विवरण	01.07.2018 से लागू दर
1	मूल मानदेय	32077
2	अन्य भत्ता	21171
3	ई0पी0एफ अंशदान नियोक्ता- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 13 प्रतिशत)	1950
4	कर्मियों के लिये कुल मानदेय (1+2+3)	55198
5	ई0पी0एफ अंशदान कर्मियों- (अधिकतम मूल मानदेय 15000/-रूपये तक का 12 प्रतिशत)	1800
6	टेक होम मानदेय (1+2-5)	51448